न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—353/2019/223 (2019/00353)

1. जन्नत बैगम पत्नि स्व0 जमालुद्दीन,
2. फकरूद्दीन पुत्र स्व0 जमालुद्दीन,
3. सकीना पुत्री स्व0 जमालुद्दीन,
4. रहीमा पुत्री स्व0 जमालुद्दीन,
5. लाली पुत्री स्व0 जमालुद्दीन,
6. अमीना पुत्री स्व0 जमालुद्दीन,
7. वली मोहम्मद पुत्र स्व0 जमालुद्दीन,
8. रसूल मोहम्मद पुत्र स्व0 जमालुद्दीन,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम चुन्दड़ी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. उम्मद खां पुत्र गन्नी खां, जाति मुसलमान (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— घुडिया बानो पत्नि उम्मेद खां,
   1/2— शेर मोहम्मद पुत्र उम्मेद खां,
   1/3— गुड्डु मोहम्मद पुत्र उम्मेद खां,
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम चुन्दड़ी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर हाल नि0 कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 19.9.2019 अंतर्गत वाद संख्या 02/2011.

उपस्थितः—

1. श्री रामदेव गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 व 1/3.
3. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1/2.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 31.08.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 19.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांटस/वादीगणने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पति व पिता

जमालुद्दीन एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भाई का रिश्ता है । वादीगण के पति व पता तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संयुक्त रूप से कृषि कार्य करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करके ट्रेक्टर लेकर आये थे जिनका रजिस्ट्रेशन प्रमाण में दोनों के नाम का स्वामित्व है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण के पति व पिता द्वारा समय पर बैंक की किश्त अदायगी नहीं करने से बैंक द्वारा ट्रेक्टर एवं वादीगण के पति व पिता की कृषि भूमि को कुर्क करके बैंक ऋण की वसूली की गई थी । वादीगण के पति व पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से वादीगण के पति, पिता की कृषि भूमि बैंक द्वारा कुर्क करने के बाद पारिवारिक सहमति से एक सहमति पत्र दिनांक 13.10.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि ग्राम चुन्दड़ी के खसरा संख्या 107/1 रकबा 32 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण के पति, पिता के पक्ष में निष्पादित करवा दिया एवं बतौर प्रतिफल स्वरूप बैंक द्वारा कुर्क की गई कृषि भूमि के बतौर जिसका प्रतिफल स्वरूप इस प्रकार दोनों कार्यो के प्रतिफल स्वरूप यह सहमति पत्र वादीगण के पति, पिता के पक्ष में निष्पादित कर मौके पर वादीगण के पति, पिता को कब्जा संभला दिया गया था तब से आज दिन तक वादीगण के पति, पिता तथा वादीगण के पति, पिता के फौत होने के बाद वादीगण उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है । किन्तु उक्त आराजी औपचारिक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है । प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकार, स्वत्व, हित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत अवसान हो चुके है । उक्त गलत इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी को हस्तातंरित करने पर आमादा है एवं अन्य अजनबी व्यक्ति के पक्ष में बेचान इकरारनामा निष्पादित कर दिया है । अतः वाद स्वीकार वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु दिनांक 28.4.2019 को हो चुकी है । वादीगण संख्या 2 लगायत 8 प्रतिवादी संख्या 1 के रिश्ते में चचेरे भाई है जिससे उन्हें प्रतिवादी उम्मेदखां की मृत्यु की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कानूनी कार्यवाही किया जाना आज्ञापक होने के बावजूद मृतक के वारिसान को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं किये जाने से वादीगण का वाद अबेट हो चुका है । अतः वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर वादीगण/अपीलांटस का वाद अबेट होने से खारिज करने के आदेश दिनांक 19.9.2019 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड तथा प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 के पुत्र रेस्पो0 संख्या 1/2 द्वारा धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र वाद अबेट होने का प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 151 में अबेट होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाद अबेट होने के संबंध में अलग से व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किये गये है । धारा 151 जा0दी0 के जवाब प्रार्थना पत्र में वादीगण द्वारा अधी0न्याया0

को अवगत कराया गया था कि दिनांक 4.9.2019 को धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि आदेश 22 नियम 10 जा0दी0 के तहत प्रतिवादी/रेस्पो0 का यह दायित्व था कि अधी0न्याया0 के समक्ष मृतक की मृत्यु दिनांक एवं मृतक के विधिक वारिसान की सूची पेश करते किन्तु प्रतिवादी द्वारा दिनांक 4.9.2019 को धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थना पेश किया जिसका वादीगण द्वारा दिनांक 6.9.20196 को धारा 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं अलग से आदेश 22 नियम 4 एवं 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा किसी प्रकार का विधिक प्रभाव नहीं दिखाते हुए विधिक प्रावधानों से परे जाकर रेस्पो0 को परिलाभ पहुंचाने की मंशा से संपूर्ण वाद खारिज कर दिया जो प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में स्वंय अंकित किया है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मृत्यु की जानकारी से अंदर मियाद वास्ते विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं सद्भाविक देरी के लिये धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है फिर भी अधी0न्याया0 द्वारा कानूनी बिन्दुओं का विवेचन न करके विवेकिय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । पूर्व में भी अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के वाद को गलत तथ्यों के आधार पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज कर दिया गया था जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2017 को अधी0न्याया0 के आदेश को खारिज करते हुए पुनः वादी/अपीलांट के वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु निर्देशित किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वादी संख्या 8 रसूल मोहम्मद, मृतक प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था जबकी इस कथन के बारे में वादीगण का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण अपीलांट के मध्य कोई बोल–चाल नही है न किसी प्रकार का सामाजिक सरोकार है । प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु ग्राम कालेसरा तहसील पीसांगन में हुई है जबकि वादी ग्राम चुन्दड़ी तहसील किशनगढ़ में निवासरत है । इस प्रकार मृत्यु की जानकारी होना कतई संभव नहीं है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस के वाद को साक्ष्य व जिरह के स्तर पर खारिज कर दिया एवं खारिज करने में उपरांत डिक्री जारी नही की है जो विधिक प्रक्रिया के विपरीत है । विद्वान वकील अपीलांट ने आर0आर0टी0 2018 एवं 2019 पेज 204 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित कर कथन किया कि मान0 राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं आदेश 7 नियम 11 प्रतिवादी की मृत्यु के संबंध में सूचना एवं वारिसान की सूची देने का दायित्व प्रतिवादी के अधिवक्ता का है जो जा0दी0 के अनुसार आदेश 22 नियम 10–ए के अनुसार प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अधी0न्याया0 में केवल मात्र 151 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र वाद को अबेट होने का प्रस्तुत किया है जबकि अबेटमेंट हेतु आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । मृतक प्रतिवादी की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 6.9.2019 को अधी0न्याया0 के समक्ष आवेदन आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत दिया गया था इसलिये जानकारी होने के बाद वादी/अपीलांटस द्वारा कोई देरी नहीं की गई थी फिर भी अधी0न्याया0 द्वारा विधि के तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया है जो निरस्तनीय है । व्यवहार प्रक्रिया संहित के अनुसार मृत्यु की तारीख से 90 दिन अंकित नहीं किये गये है बल्कि जानकारी से 90 दिवस का प्रावधान किया गया है । यदि 90 दिन पश्चात् भी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना व विधिक वारिसान की सूची नही दी जाती है तो दावा अबेट नहीं किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 आदेश 22 नियम 4 के अनुसार जहां विलंब के उपशमन के आवेदन के साथ आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत कोई भी आवेदन पेश नहीं किया जाता है तो न्यायालय को आवेदन पर लचीला रहना चाहिये तथा तकनीकी आधार पर यह खारिज नहीं किया जाना चाहिये । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने सी0जे0 (सिविल) 2018 (3) वेज 1747 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया । वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश किया है फिर भी अधी0न्याया0 द्वारा विधि वारिसान को रिकार्ड पर न लेकर अपीलांटस/वादीगण के वाद को धारा 151 के तहत खारिज किया गया है जो अपास्त होने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2004 पेज 229 , डी0एन0जे0 2009 (2) राजस्थान, पेज 623, आर0आर0डी0 2001 पेज 266 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित कर अपील अपीलांटस स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब में लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम चुन्दरी तहसील किशनगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 107/1 रकबा 32–5–00 बीघा बाबत् वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी उम्मेद खां के विरूद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उम्मेद खां द्वारा दिनांक 13.10.1997 को विवादित भूमि बाबत् एक लिखतम जिसे सहमति पत्र अंकित किया गया है के आधार पर संपूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त भूमि वादीगण/अपीलांटस के पूर्वज जमालुद्दीन को हस्तांतरित कर दी गई है । जबकि प्रतिफल राशि प्रदान किया जाना अंकित किये जाने से यह सहमति पत्र की परिभाषा में नहीं आता है और भाई बंटवारा माना जावे तो भी उसमें प्रतिफल राशि प्रदान नहीं की जाती है और न ही यह भूमि उम्मेद खां एवं जमालुद्दीन की खातेदारी में ही रही है बल्कि तन्हा उम्मेद खां की खातेदारी की भूमि है जिस पर उसके वारिसान रेस्पो0 बहैसियत काबिज काश्त चले आ रहे है । अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी भूमि के स्वत्व हस्तातंरित नहीं होते है एवं जिस दस्तावेज पर वाद पत्र आधारित किया गया है वह बंटवारा दस्तावेज है अथवा सहमति पत्र है अथवा विक्रय पत्र है अथवा किस विक्रय बाबत् इकरारनामा है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित दस्तावेज से कतई सिद्ध नहीं है । ऐसे दस्तावेज के द्वारा प्रथम दृष्टया अधी0न्याया0 के समक्ष कतई संधारण योग्य नहीं था । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2019 पेज 101 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0टी0 2009 पार्ट–1 पेज 677, आर0आर0डी0 1992 पेज 648 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां वादी/अपीलांट संख्या 1 का भतीजा तथा वादी/अपीलांट संख्या 2 से 8 का चचेरा भाई था, जो किसी कार्यवश ग्राम कालेसरा तहसील पीसांगन गया और वहां पर दिनांक 28.4.2019 को उसका स्वर्गवास हो गया । जिसके अंतिम संस्कार में स्वंय वादी/अपीलांट संख्या 8 रसूल मोहम्मद चचेरा भाई होने से दिनांक 28.4.2019 को सम्मिलत हुआ जिससे वादी/अपीलांट संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु की

जानकारी दिनांक 28.4.2019 से ही थी एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं ग्राम चूंदड़ी में एक ही स्थान पर निवास करते है जिससे वादीगण को मृतक उम्मेद खां के वारिसान बाबत् भी पूर्ण जानकारी शुरू से ही रही है इसके बावजूद वादीगण द्वारा दिनांक 6.9. 2019 को कायम–मुकाम बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि वादपत्र 90 दिवस होते ही स्वतः अबेट हो जाता है । अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष की बहस को पूर्ण रूप से निर्णय में अंकित करने के पश्चात् अबेटमेंट के बिन्दु पर संपूर्ण रूप से विधिक विवेचन करने के बाद निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है जिससे अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2017 पेज 386 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 2005 पेज 764, आर0आर0टी0 2001 (1) पेज 515, आर0आर0डी0 1999 पेज 52 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । मृतक की मृत्यु की 90 योम पूर्ण होते ही वादपत्र स्वतः अबेट हो जाता है जिससे प्रकरण में दिनांक 28.7.2019 को वाद पत्र स्वतः अबेट हो चुका था एवं वादी संख्या 8 रसूल मौहम्मद जो मृतक प्रतिवादी संख्या 1 का चचेरा भाई है जो दिनांक 28.4.2019 को उम्मेद खां के अंतिम संस्कार में शामिल था जिससे स्पष्ट है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की पूर्ण जानकारी प्रारंभ से थी । अधी0न्याया0 ने इन सभी बिन्दुओं पर विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/रेस्पे0 द्वारा दिनांक 4.9.2019 को वाद पत्र अबेट होने के कारण निरस्त किये जाने वाद हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पूर्व वादीगण ने कायम मुकाम की कार्यवाही बाबत् कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जिससे वादीगण का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मनगंढ़क्त एवं असत्य तथ्य अंकित किये गये थे जिनको स्वंय वादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष सिद्ध नहीं किया गया था । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/अपीलांटस का वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र शेर मोहम्मद खान द्वारा दिनांक 4.9.2019 को जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया गया था कि वाद में प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां पुत्र गनी खां जो कि प्रार्थी का पिता है तथा वादिया संख्या 1 1 का भतीजा तथा वादीगण संख्या 2 लगायत 8 का चचेरा भाई था जिसकी मृत्यु दिनांक 28.4.2019 को ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन में हो चुकी है । वादीगण संख्या 2 लगायत 8 प्रतिवादी संख्या 1 के रिश्ते में चचेरे भाई होने से रक्त संबंधी है व वादिया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 की चाचा की पत्नि होने के कारण संबंधी है इसलिये वादीगण को मृतक प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु की पूर्ण रूप से जानकारी है तथा वादी संख्या 8 रसूल मोहम्मद स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 मृतक उम्मेद खां के कफन दफन/अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ है इस प्रकार मृत्यु की दिनांक 28.4.2019 से ही वादीगण व विशेषतः वादी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु की पूर्ण जानकारी प्राप्त है । विधि के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 28.4.2019 से 90 दिवस की अवधि में मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में अपेक्षित कानूनी कार्यवाही किया जाना आज्ञापक है परन्तु इस प्रकरण में वादी संख्या 8 व अन्य वादीगणों द्वारा विधि के इन आज्ञापक प्रावधानों

की अवहेलना कारित करते हुए 9. दिवस की अवधि में मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया है इसलिये वाद प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अबेट हो चुका है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद उपरोक्त कारणों से अबेट हो जाने के कारण खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 19.9.2019 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद अबेट होने के आधार पर खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में प्रतिवादी संख्या उम्मेद खां पुत्र गनी खां प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में स्थापित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु दिनांक 28.4.2019 को होना भी स्पष्ट होता है । प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां के पुत्र शेरमोहम्मद प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी दिनांक 4.9.2019 को पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदखां की मृत्यु दिनांक 28.4.2019 को ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन में हो चुकी है । वादीगण संख्या 2 लगायत 8 प्रतिवादी संख्या 1 के रिश्ते में चचेरे भाई होने से रक्त संबंधी है व वादिया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 की चाचा की पत्नि होने के कारण संबंधी है तथा वादी संख्या 8 रसूल मोहम्मद स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 मृतक उम्मेद खां के कफन दफन/अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ है। इस प्रकार वादीगण व विशेषत वादी संख्या 8 को प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु की पूर्ण जानकारी दिनांक 28.4.2019 से थी इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के संबंध में कोई अपेक्षित कानूनी कार्यवाही नहीं की है जिससे वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में अबेट हो चुका है । प्रार्थी शेरसिंह के उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण/अपीलांटस द्वारा दिनांक 6.9.2019 को जवाब प्रस्तत किया जाकर प्रार्थना पत्र के कथनों से इंकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कथन किया गया । इसके उपरांत दिनांक 6.9.2019 को वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रार्थना अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 मृतक उम्मेद खां के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया गया है जो निश्चित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु दिनांक 28.4.2019 के 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत न होकर विलंब से पेश किया गया है । प्रार्थी शेरसिंह ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां एवं वादीगण संख्या 2 से 8 चचेर भाई है तथा वादिया संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा की पत्नि है होकर रक्त संबंधी रिश्ते है । प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि वादी संख्या 8 रसूल खां प्रतिवादी संख्या 1 के अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हुआ है । पक्षकारान आपस में रक्त संबंधी है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां की मृत्यु की जानकारी दिनांक 28.4.2019 को नहीं थी । किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर लिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है किन्तु वादीगण/अपीलांटस द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेद खां के विधिक वारिसान को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर लिये जाने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है जबकि मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आज्ञापक प्रावधान है । वादीगण/अपीलांटस द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर लिये जाने कार्यवाही नही किये जाने से वादीगण का वाद

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध अबेट हो चुका है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद अबेट मानकर खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.9.2019 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर